संख्याः 829/XXXI(15)G/17-85(सू0अ0)/2012

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 14 सितम्बर, 2017

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग में दर्ज अपील संख्या–A(D)-16091, 16092, 16095/2014 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2016 द्वारा संज्ञानित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को नामित किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी शासनादेश संख्याः 484/XXXI(15)G/17-85 (सू0अ0)/2012 दिनांक 12 जून, 2017 के द्वारा शासनस्तर पर लोक सूचना अधिकारी के रूप में अनु सचिव/उप सचिव एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव/अपर सचिव इसी प्रकार विभागीय/जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारी लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर उससे एक पंक्ति ऊपर के अधिकारी को नामित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के समयबद्ध एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन में शासन स्तर पर हो रहे अनावश्यक विलम्ब के कारण अनुभाग की केन्द्रीय स्थिति एवं अभिलेखों के संरक्षक की भूमिका के दृष्टिगत उक्त के सम्बन्ध में शासनस्तर पर पुनर्विचार किया गया और सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए शासनस्तर पर अनुभाग अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाय एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर उप सचिव या संयुक्त सचिव नामित किये जाये। इसी प्रकार विभागीय स्तर एवं जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाय एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर उससे एक पंक्ति ऊपर का अधिकारी नामित/नियुक्त किया जाये।

4. प्रत्येक विभाग अपने–अपने विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित/नियुक्त करने के उपरान्त उसकी सूचना

निर्धारित प्रारूप संलग्न-1 पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 सितम्बर तक अद्यतन (Update) करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायेंगे।

5. प्रत्येक विभाग अपने-अपने विभागों में सभी स्तर पर यथा शासनस्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित करेंगे तथा प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का संलग्न प्रारूप-2 के अनुसार अदेय सूचना प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उनके विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर शासनादेश के अनुसार लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी नामित/नियुक्त कर दिये गये हैं और उनकी समस्त सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है और अब कोई भी सूचना विभाग के पास अवशेष नहीं रह गयी है।

6. प्रत्येक प्रशासकीय विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअल तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3), 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उक्त मैनुअलों को प्रतिवर्ष माह अप्रैल से माह जून तक अध्यावधिक करने के उपरान्त उनका प्रकाशन एवं इण्टरनेट पर अपलोड करते हुए उसकी सूचना प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर तक सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-352/XXXI(15)2016G-06 (सा०सू०आ०)/2015 दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा पूर्व में भी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

7. प्रत्येक प्रशासकीय विभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्रों पर सूचना का अधिकार अधिनियम का लोगो (Logo) तथा पत्राचारकर्ता अधिकारी का ई-मेल और दूरभाष नम्बर स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जायेगा। उक्त के संबन्ध में शासनादेश संख्या-1104/XXXI(15)G-72(सा०)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा भी विस्तृत निर्देश पूर्व में भी निर्गत किये गये हैं।

यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(राजेन्द्र सौड़ाई)
अपर सचिव।

संख्या:   /XXXI(15)G/17-85(सू0अ0)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आइ0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव